न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 29 / 2020
जीसीएमएस संख्या (2020 / 00046) निर्णय दिनांकः– 4-9-25

1. नत्थू सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह जाति राजपूत निवासी बागड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री किशनचन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 डी.ओ.बी.बी. ए तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।
3. चमना पत्नी पठान खां जाति मुसलमान निवासी बागड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3/1 महबुब खां पुत्र चमना जाति मुसलमान निवासी बागड़सर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
3/2 सिकन्दर खां पुत्र चमना जाति मुसलमान निवासी बागड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 216 / 2018
जीसीएमएस संख्या (2018 / 00311) निर्णय दिनांकः–

1. नत्थू सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह जाति राजपूत निवासी बागड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें के सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के 21–01–1999 व आदेश दिनांक 10–11–2008 के द्वारा अपीलांट की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत दोनो अपीलो में वादग्रस्त भूमि और पक्षकार समान है। इसलिए दोनो अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति दोनो पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट के नाम ग्राम बांगडसर तहसील कोलायत में खसरा नम्बर 771 में 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि आराजी काश्त आवंटन के तहत आवंटित है। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी जैर पर मेहनत करके काफी पैसे खर्च करके आराजी जैर को सुधार तथा काबिल काश्त बनाया। अपीलांट उक्त आराजी जैर का मालकाना राजस्व आदि समय समय पर खजानाराज में जमा करवाता रहा है।

उक्त आराजी जैर बाद में चक बंदी उपनिवेशन तहसील कोलायत नंबर 1 में चक 1 डी.ओ.बी.बी्री ए में मुरब्बा नं. 115/8 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किला नं. 16, 25 में 2 बीघा कमाण्ड मु.न. 115/16 में किला नं. 20, 21 में 2 बीघा कमाण्ड, मु.न. 116/1 में किला नं. 5, 6 15 ता 17, 24, 25 में 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नं. 116/9 में किला नं. 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 24 में 14 बीघा कमाण्ड मु.न. 116/10 में किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 17, 24 में 15 बीघा कमाण्ड मु.न. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 में 3 बीघा कमाण्ड किला नं. 7 में 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 43 बीघा कामण्ड 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 44 बीघा भूमि में पैमूद हुआ। अपीलांट का आराजी जैर पर आवंटन बाद से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी जैर के चकबन्दी में आने के बाद पुख्ता आवंटन हेतु सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 21-01-1999 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अपीलांट के नाम उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत चक 1 डीओबीबी ए में मुरब्बा नं. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 की 3 बीघा भूमि के स्थान पर किला नंबर 1 की 1 बीघा भूमि आवंटित कर दी। मुरब्बा नं. 116/2 में किला नम्बर 1 की 1 बीघा भूमि अपीलांट के नाम पूर्व में आवंटित ही नही थी ना ही तहसील प्रतिवेदन एवं अपीलांट के फोटो फॉर्म में उक्त रकबा दर्ज है। अपीलांट का मुरब्बा नं. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 की 3 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। तथा अपीलांट उक्त भूमि पुख्ता आवंटन करवाने के लिए मुश्तहक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-2008 को बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये उक्त आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्मॉल पेच आवंटित कर कानूनी भूल कारित की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन करते हुए कहा कि उक्त वादग्रस्त आराजी के आवंटन करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई नोटिस दिये तमाम कार्यवाही अपीलांट की गैर हाजरी में एकतरफा तौर पर की गई है। उक्त भूमि पूर्व में ही आवंटन सुदा है जो किसी अन्य को आवंटित नही की जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 का मुरब्बा 4 मुरब्बा दूर स्थित है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 टेन्योर टिनेन्ट नही है। स्मॉल पेच आवंटन हेतु केवल एडजोइनिंग टिनेन्ट होना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है जिसका आवंटन

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 पर बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 13–04–2010 को अपीलांट किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु दस्तावेज लेने गया तो आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट ने उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 15–04–2010 को नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी नही की है। अपीलांट को जानकारी की दिनांक से व नकल दिये जाने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की भूमि चक 1 डीओबीबी ए के मुरब्बा नं. 115/40 में स्थित है। उक्त मुरब्बा के निकट ही मुरब्बा नं. 116/2 के किला नं. 4 ता 6 में कुल 4 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी हितधारी कृषको को नोटिस जारी किये गये। जिनकी विधिवत तामील करवाई गई थी। विधिवत तामील प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त भी कोई हितधारी कृषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित की कार्यवाही को आगे बढाते हुए रेस्पोडेन्ट को प्रथम किस्त की राशि 7438/–रू. जमा करवाने के आदेश जारी किये गये। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये जीए 55 सं. 466681/71 दिनांक 10–11–08 को राशि 7438/–रू. खजानाराज मे जमा करवाए। उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किये है जिससे यह साबित होता हो कि आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त आराजी जेर की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–11–2008 को जारी किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 19–04–2010 को पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। तथा अपीलांट ने मियाद कंडोने करने हेतु कोई ठोस वजह भी अपने प्रार्थना पत्र में नही बताई है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

6. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय किया जाना है, मियाद के बिन्दू पर अपीलांट का कथन है कि दिनांक 13–04–2010 को अपीलांट किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु दस्तावेज लेने गया तो आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट ने उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 15–04–2010 को नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी नही की है। अपीलांट को जानकारी की दिनांक से व नकल दिये जाने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जवाब में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–11–2008 को जारी किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 19–04–2010 को पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। तथा अपीलांट ने मियाद कंडोन करने हेतु कोई ठोस वजह भी अपने प्रार्थना पत्र में नही बताई है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–01–1999 व आदेश दिनांक 10–11–2008 के विरूद्ध अपीले दिनांक 19–04–2010 को दायर की है। तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाब में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलाट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बिना जानकारी के पारित किया गया है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए दोनो अपीले अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न हैं, अपीलांट द्वारा अपील का आधार यह लिया गया है कि ग्राम बागडसर के खसरा नम्बर 771 में 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट को आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटित है। अपीलांट द्वारा इस भूमि को जिन किलो में पैमुद होना अभिकथित किया है उसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा सूची नम्बर 4) प्रस्तुत नही किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21–01–1999 के द्वारा अपीलांट को जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसमें रेस्पोडेन्ट को स्मॉलपेच में आवंटित भूमि शामिल नही है। यह सही है कि रेस्पोडेन्ट सावित्री की भूमि आवंटित भूमि से चिपती भूमि नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त चिपते काश्तकारो को जरिये नोटिस सूचित किया गया था। अपीलांट नत्थूसिंह को भी जरिये नोटिस सूचित किया गया था जिसकी तामील स्वयं अपीलांट पर होना प्रकट होता है। अपीलांट ने अपनी अपील अथवा बहस में इस तथ्य से इंकार नही किया है कि नोटिस पर उसके अंगुठा निशान नही है। अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि को आवंटित करवाने हेतु उपस्थित नही हुआ। चिपते काश्तकारो के आवेदन न किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। नियम 14 के अनुसार Allotment of small patch (1) Notwithstanding anyting to the contrary containted in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the inbox price for land of a similar soil class in the neighbourhood.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of such small patch to the tenant of the same chak or of the adjoining chak.

वरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि रकबाराज थी। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि की खातेदार जारी हो चुकी है। अपीलांट द्वारा इस खातेदारी को चुनौती दिये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाट की अपीले खारिज कर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के 21–01–1999 व आदेश दिनांक 10–11–2008 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4-9-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर